भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 502
सोमवार, 24 जुलाई, 2023/2 श्रावण, 1945 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी

502. श्री सुनील बाबूराव मेंढे:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) का कार्यान्वयन कर रही है, यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) देश में एबीआरवाई के अंतर्गत आबंटित, संस्वीकृत और जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने में क्या उपलब्धि हासिल की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार एबीआरवाई के अंतर्गत पात्रता शर्तों को संशोधित करने का है ताकि इसे और अधिक लाभकारी बनाया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में रोजगार सृजन के संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। योजना के तहत अब तक महाराष्ट्र सहित वर्ष-वार और राज्य-वार हुई प्रगति का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

योजना के तहत धनराशि का कोई विशिष्ट राज्य-वार आवंटन नहीं होता है। इस योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 2272.82 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। योजना के आरंभ से देश में दिनांक 18.07.2023 तक 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 60.44 लाख लाभार्थियों को 9,640.43 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया है। महाराष्ट्र में, 22,438 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 9.78 लाख लाभार्थियों को 1440.80 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

(ङ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेकों कदम उठाए हैं।

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। हाल के वर्षों में यह अत्याधिक वृद्धि, सरकार के विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के प्रयासों पर केंद्रित है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए उन्हें जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें, देश में रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए हीं है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 24.07.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 502 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष	2020-21			2021-22			2022-23			01.04.2023 से 18.07.2023		
राज्य	लाभ प्राप्त प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभ प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)	लाभ प्राप्त प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभ प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)	लाभ प्राप्त प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभ प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)	लाभ प्राप्त प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभ प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	23	177	7,05,404	12	289	58,55,984	1	12	47,50,921	-	1	3,46,223
आंध्र प्रदेश	1,475	34,740	958,84,394	2,185	1,13,678	12188,34,192	377	18,222	14991,34,008	4	164	2410,59,286
अरुणाचल प्रदेश	2	8	30,282	11	122	8,72,638	4	384	94,75,090	-	-	27,20,450
असम	157	1,929	51,99,806	402	15,182	1225,07,046	104	2,741	1708,60,879	4	40	251,05,737
बिहार	362	4,713	151,95,479	719	19,117	2591,37,749	128	4,433	3659,38,916	3	45	566,27,333
चंडीगढ़	605	14,669	389,20,290	875	44,728	4423,08,868	100	5,278	4531,09,740	2	114	615,82,704
छत्तीसगढ़	1,064	19,819	559,47,364	1,634	56,191	6267,35,263	240	9,008	8097,03,684	10	62	1244,90,859
दिल्ली	1,268	48,387	1261,99,744	1,625	1,61,216	13878,14,165	246	17,519	14043,96,048	5	393	1720,90,173
गोवा	260	5,418	159,46,071	246	13,806	1345,69,878	34	1,681	1404,03,013	2	35	185,61,822
गुजरात	6,532	1,58,119	4138,89,068	7,970	4,40,441	41245,51,428	1,036	44,455	45245,67,656	21	558	6903,90,433
हरियाणा	3,033	83,929	2453,01,617	4,018	2,80,116	25760,86,560	574	35,101	27024,38,159	11	1,022	3479,68,375
हिमाचल प्रदेश	890	19,975	561,80,627	1,096	57,289	5628,77,284	172	5,979	6139,73,030	3	115	839,72,107
जम्मू और कश्मीर	244	3,441	92,76,310	577	14,097	1761,41,966	68	1,821	2366,16,545	1	19	353,51,072
झारखंड	766	14,149	432,89,626	1,263	41,821	5002,01,030	213	6,706	5943,95,998	4	47	873,03,109
कर्नाटक	3,816	1,03,320	3112,33,481	5,970	3,34,240	34770,10,560	1,201	47,919	39649,91,545	7	799	4925,48,068
केरल	987	20,131	592,83,648	1,420	64,808	7350,59,852	319	11,212	9303,73,928	4	138	1354,94,371
लद्दाख	1	2	6,552	11	168	14,04,113	5	20	18,12,553	-	-	3,74,454
मध्य प्रदेश	2,519	47,381	1464,25,243	3,198	1,38,217	15719,31,200	516	19,718	16947,85,375	15	393	2378,66,531
महाराष्ट्र	7,977	2,06,408	5364,19,295	12,642	6,90,241	62569,71,165	1,790	80,294	66957,38,330	29	1,365	9189,00,313
मणिपुर	15	218	5,22,750	27	703	81,32,815	15	769	159,09,469	-	2	17,32,702
मेघालय	14	394	25,20,552	22	737	204,82,708	2	79	216,34,993	1	14	31,02,010
मिजोरम	5	98	3,62,412	10	271	64,42,842	-	8	72,89,184	-	-	11,29,486
नागालैंड	2	11	14,974	12	209	13,26,738	3	14	32,56,024	-	-	4,81,368
ओडिशा	1,383	20,745	566,36,945	2,455	59,212	7269,61,079	350	9,246	9544,33,241	6	93	1527,25,886
पंजाब	2,436	35,699	1088,73,292	3,628	1,20,698	14156,29,218	465	14,313	16268,14,231	12	177	2379,75,296
राजस्थान	4,133	68,318	1798,81,697	6,398	2,31,029	22278,20,778	924	26,502	26444,68,292	21	499	3849,32,044
सिक्किम	43	1,160	37,36,465	65	2,362	349,23,389	4	242	297,87,414	-	-	23,73,060
तमिलनाडु	6,038	1,70,388	3892,24,321	9,109	5,68,104	46997,83,659	1,558	77,627	54117,90,473	34	1,196	7299,03,646
तेलंगाना	2,073	54,989	1334,98,483	2,874	2,04,801	16477,71,711	429	22,391	17836,75,247	11	683	2515,71,724
त्रिपुरा	78	1,951	56,15,402	71	3,376	449,39,953	1	113	417,84,003	-	-	43,19,829
उत्तर प्रदेश	4,551	89,663	2812,27,623	6,912	3,00,544	33565,37,195	923	42,256	39765,00,920	18	768	5771,44,104
उत्तराखंड	1,068	23,216	693,14,418	1,165	61,581	6483,40,009	185	8,564	6790,87,869	5	113	910,76,615
पश्चिम बंगाल	2,405	43,555	1039,92,581	4,586	1,52,407	14436,15,081	697	31,093	19166,01,415	13	227	3282,26,337
योग	**56,225**	**12,97,120**	**35107,56,216**	**83,208**	**41,91,801**	**404635,78,116**	**12,684**	**5,45,720**	**459304,98,193**	**246**	**9,082**	**64994,47,527**

स्रोतः ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय